6 मई से सभी विद्यालयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

आदरणीय अभिभावक जी नमस्ते

विद्यालय विद्या का मंदिर है। विद्यार्थियों को विद्या, चरित्र एवं स्वास्थ्य रूपी आभूषणों से अंलकृत कर राष्ट्र–सेवा के लिए तैयार करना हमारा कर्त्तव्य है। लेकिन वर्तमान परिवेश में प्रदेश सरकार की भविष्य के प्रति दूरदृष्टि का न होना बहुत ही कष्टदायक है। निजि विद्यालयों पर Property Tax लगाना,स्कूल बस की परमिट फीस रू0. 850/– से रू0. 25,600/– बढ़ाना, स्कूल बसों की आयु 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष करना एवं नियम ' 134 क ' थौंपना आदि सभी ऐसे कार्य हैं जिसके द्वारा प्रदेश में उस कमेरे वर्ग की कमर टूट रही है, जो कठोर मेहनत कर अपने बच्चों को निजि विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है। चंद शरारती लोग निजि विद्यालयों के अच्छे माहौल को खराब करने के उद्देश्य से ताकि समाज सरकारी विद्यालयों के बिगड़े हुए हालात को देख न सके इसके लिए कुछ अपने समर्थक नियम 134 क में निजि विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने के नाम पर तैयार किए हुए हैं। जो गरीब बच्चों के प्रवेश का बहाना बनाकर प्रदेश के प्रत्येक शहर में प्रत्येक दिन किसी न किसी विद्यालय में जाकर उपद्रव मचा कर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। पिछले वर्श Spring Bird School, Atlas Road, Sonepat में इन्हीं उपद्रवियों द्वारा पथराव के साथ–साथ आगजनी भी की गई थी। क्या मासूम बच्चों–बच्चियों पर पथराव करने वाले उपद्रवी अभिभावक हो सकते हैं? अभिभावक तो कठोर मेहनत कर अपने बालक–बालिकाओं के सुंदर भविष्य के लिए निजि विद्यालयों का निर्माण करता है।

तथाकथित उपद्रवी अभिभावक संघ के सदस्य एवं सरकार यदि वास्तव में गरीब परिवार के बच्चों को निजि विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो पूरे देश में लागू केन्द्र का कानून निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार (R.T.E.) लागू कर गरीब परिवार के बालकों को निजि विद्यालयों में केन्द्र के कानून अनुसार प्रवेश लेने का हक बहाल करे। प्रदेश की सरकार ने बहुत चतुराई दिखाते हुए प्रदेश के गरीब परिवार के बालकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। जिस गरीब परिवार के बालक को पूरे हक एवं आत्म सम्मान के साथ पड़ोस के मनपसंद निजि विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार (R.T.E.) के तहत था। उस बालक के अधिकार को प्रदेश सरकार ने 12 अगस्त 2015 को माननीय उच्च न्यायालय के 1 अप्रैल 2015 के आदेष व देष की संसद के द्वारा बनाए गए कानून को निष्प्रभावी करने का कार्य किया है। जिसके तहत गरीब परिवार का बालक पहले सरकारी स्कूल में प्रवेश ले यदि वहाँ सीट भर जाती है तो सहायता प्राप्त विद्यालय में शिक्षा लेगा और वहाँ भी सीट भर जाती है तो तब उसको जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए नामित स्कूल में प्रवेश लेना होगा जो कि केन्द्र सरकार के कानून के बिल्कुल विपरीत है। प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि गरीब परिवार का बालक केन्द्र सरकार के R.T.E. कानून के तहत मिलने वाली मुफ्त अच्छी शिक्षा, मुफ्त वर्दी, कॉपी–किताब व अन्य सुविधाएं प्राप्त कर एक योग्य नागरिक होने पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे।

विषय	R.T.E.	134 क
लाभार्थी	इसमें उन सभी बच्चों को लाभ मिलेंगा जो निम्न में से किसी भी वर्ग से सम्बधिंत हो :– अनुसूचित जाति, जनजाति, शैक्षिक व आर्थिक व सामाजिक पीछड़ा वर्ग, सांस्कृतिक, भावनात्मक, भौगोलिक व अन्य वर्ग से सम्बधित अलाप प्रद बच्चे व अनाथ, विकलांग या युद्ध विधवा का बालक व बी0 पी0 एल0 परिवार का बालक	केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं बी0 पी0 एल0 परिवार के गुणवान छात्रों को यह लाभ मिलेंगा।
प्रतिशत	न्यूनतम 25 %	अधिकतम 10 %
फीस	निःशुल्क शिक्षा (किसी प्रकार की कोई फीस नहीं)	केवल अध्यापन शुल्क में सरकारी दर तक रियायत
अन्य लाभ	कोई प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क, कम्पयुटर शुल्क नहीं	ऐसी कोई सुविधा नहीं
मुफ्त शैक्षिक सामग्री	मुफ्त वर्दी, स्कूल बैग, पुस्तक, कॉपी, पैन व पैंसिल व अन्य सामग्री	ऐसी कोई सुविधा नही
अन्य बच्चों पर प्रभाव	इस लाभ से अन्य बच्चों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसका खर्च 35 % राज्य एवं 65 % केन्द्र सरकार उठायेगी।	अन्य बच्चों की फीस न्यूनतम 11 % बढ़नी तय क्योंकि राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायलय के 1 अप्रैल 2015 के आदेश के बावजूद कोई खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं है।
अन्य	एक बार बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश पाने के बाद शिक्षा पूरी होने तक लाभ जारी रहेगा।	प्रतिवर्ष बच्चे को मेधावी होने की परीक्षा देनी पड़ेगी।

इसलिए शिक्षा प्रेमी अभिभावकगण से हमारा विशेष अनुरोध है कि अपने निजि विद्यालयों को बचाने के लिए आगे आए। सरकार के काले कानून 134 क का विरोध करें क्योंकि यह कानून जम्मू कश्मीर की धारा 370 जैसा है जो प्रदेश को सम्पूर्ण देश के निःशुल्क एवं बाल शिक्षा के अधिकार (R.T.E.) से अलग करता है। यदि नियम 134 क के तहत 10 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनका खर्च शेष 90 प्रतिशत अभिभावकों ने उठाना होगा जिससे विद्यालय में पढ़ रहे 90 प्रतिशत बच्चों की फीस एवं वार्षिक शुल्क 11 प्रतिशत वार्षिक महँगाई बढ़ोतरी से अतिरिक्त बढ़ेगा। निजि विद्यालय संगठन यह लड़ाई मेहनतकश शिक्षा प्रेमी अभिभावकों की तरफ से लड़ रहा है। आप भी हमारा सहयोग करें।

प्राचार्य